

यूजीसी – मानव संसाधन विकास केंद्र

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
जेएनयू न्यू कैम्पस नई दिल्ली 110067
फोन: 011-26742532, 26742566

कार्यशाला के लिए आवेदन पत्र (2018-2019)

कार्यशाला का नाम _____

नाम : डॉ / श्री / सुश्री _____

जन्मतिथि

D		M		Y	
---	--	---	--	---	--

वर्ग :

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
---------------	-----------------	------------------	---------

पुरुष	स्त्री
-------	--------

नेत्रहीन	शारीरिक रूप से विकलांग
----------	------------------------



संस्था / कॉलेज / विश्वविद्यालय पता: राज्य..... पिन..... टेलीफोन (एसटीडी कोड)..... फैक्स वेबसाइट यू.आर.एल.....	डाक का पता: राज्य पिन..... टेलीफोन (एसटीडी कोड)..... ईमेल :
---	--

शैक्षणिक जीवन:

	विषय और विशेषज्ञता	प्रतिशत/ग्रेड	विश्वविद्यालय	वर्ष
स्नातकोत्तर				
एम फिल				
पीएचडी डी				
पीडीएफ				

अनुसंधान रुचि /पोस्ट डॉक्टरल काम :

रोजगार का विवरण (कालक्रमबद्ध):

संस्था	पद	अवधि		कर्तव्यों के प्रकार
		से	तक	

आपके विशेष रुचि के विषय:.....

प्रकाशन के विवरण *:

प्रसंस्करण शुल्क:

कृपया इस प्रपत्र के साथ में (अप्रतिदेय प्रसंस्करण शुल्क)Rs. 500/- का वित्त अधिकारी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, के पक्ष में पेयी बैंक ड्राफ्ट, जेएनयू स्टेट बैंक में देय, कोड संख्या 1624 संलग्न करें। कृपया बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता तथा कोर्स का नाम लिखें।

ड्राफ्ट संख्या..... तारीख.....

जारीकर्ता बैंक और शाखा.....

रकम (शब्दों में).....

*यदि आपको अधिक स्थान की आवश्यकता होती है तो एक अलग शीट पर उल्लेख करें।

कॉलेज / विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि(नाम) इस महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में के.....(पद) के रूप में.....(वर्ष) से कार्यरत हैं।

*प्रमाणित किया जाता है कि यह महाविद्यालय यूजीसी के धारा 2f/12b के तहत कॉलेजों की सूची में है।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
दिनांक

नाम :
पद :
पता :

कार्यालय सील

कृपया ध्यान दें:

1. पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि कोर्स के प्रारंभ तिथि से 45 दिन पहले तक है।
2. यह आवेदन चालू शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 के लिए ही मान्य है।
3. प्रसंस्करण शुल्क के साथ ही आवेदन प्रपत्र स्वीकार किए जाते हैं (ड्राफ्ट की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाती है)।
4. स्क्रीनिंग के बाद ई-मेल / पत्र द्वारा चयनित आवेदकों को सूचित किया जाएगा ।
5. कृपया पाठ्यक्रम में शामिल होने के समय उपयुक्त प्राधिकारी से एक राहत आदेश लाएं । राहत आदेश के बिना पाठ्यक्रम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. शॉर्ट - टर्म कोर्स / वर्क शॉप भाग लेने वाले प्रतिभागियों को कोई टीए नहीं दिया जाएगा।

*ऐसे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में काम कर रहे शिक्षक जो यूजीसी अधिनियम की धारा 2f के अन्तर्गत आते हैं, भले ही वे अभी तक धारा 12b में शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। ऐसे कॉलेजों के शिक्षक जो अभी तक धारा 12b के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन कम से कम दो साल से एक विश्वविद्यालय से सम्बंधित हैं उन्हें कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाएगी **हालांकि, उन्हें पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए टीए / डीए और अन्य भत्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा।**

मैं घोषणा करता हूं / करती हूं कि इस आवेदन के रूप में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक:

